निगरानी नगरपालिका प्रकरण संख्या 03/2015(RCMS No. 2015/00097)
अनवानी 1. हनुमान दास मित्तल पुत्र श्री शिवलाल जाति अग्रवाल आयु 68 वर्ष निवासी 66 एन ब्लॉक हाल 111 नई धान मण्डी श्रीगंगानगर **बनाम** 1. नगर परिषद्, श्रीगंगानगर जरिये आयुक्त 2. सावित्री देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी 66 एन ब्लॉक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.06.2019

प्रार्थी के अभिभाषक श्री अमित छाबड़ा एवं अप्रार्थी संख्या 2–सावित्री देवी के अधिवक्ता श्री महादेव मिढा उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता श्री महादेव मिढा द्वारा स्वायत्त शासन विभाग राजास्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.06.2016 की प्रति पेश करते हुए प्रार्थना की है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी हनुमान दास मित्तल द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के अन्तर्गत नगर परिषद्, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 21.10.2014 से अप्रार्थी संख्या 02 सावित्री देवी के पक्ष में भूखण्ड संख्या 4–बी–4, जवाहर नगर क्षेत्रफल 15 गुणा 27 वर्गमीटर में से 7.5 गुणा 27 वर्गमीटर का 99 साल शाश्वत लीट पट्टा जारी किया गया, को निरस्त करने के लिए पेश की थी और अब चूंकि धारा 73 के अन्तर्गत के प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दिनांक 10.06.2016 की उक्त अधिसूचना द्वारा शक्तियां दी जा चुकी है इसलिए इस न्यायालय को उक्त प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने का अब कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी हनुमान दास मित्तल द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने के लिए लौटाई जाये। प्रार्थी के अधिवक्ता को भी उक्त अधिसूचना के अनुसार सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु लौटाने में कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उक्त निगरानी दिनांक 25.06.2015 को इस न्यायालय में धारा 73(2), राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत पेश की थी। **जिसमें उसने नगर परिषद के आदेश दिनांक 21.10.2014 से अप्रार्थी संख्या 02 सावित्री देवी के पक्ष में भूखण्ड संख्या 4—बी—4, जवाहर नगर क्षेत्रफल 15 गुणा 27 वर्गमीटर में से 7.5 गुणा 27 वर्गमीटर का 99 साल शाश्वत लीट पट्टा जारी किया गया है, को निरस्त करने की प्रार्थना की थी।** पूर्व में उक्त धारा 73(2) के तहत कार्यवाही करने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अर्थात जिला कलक्टर को शक्तियां थी किन्तु राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 10.06.2016 से ये शक्तियां प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दे दी गई है। इसलिए अब इस प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने की अधिकारिता निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को नहीं रहती है। इसलिए उक्त प्रकरण को सक्षम ऑथोरिटी/न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए लौटाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त **निगरानी हनुमान दास मित्तल बनाम नगर परिषद्, श्रीगंगानगर व सावित्री देवी आदि को सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु उक्त निगरानी लौटाई जाती है।** इस आश्य का नोट मूल निगरानी पर अंकित कर दिया जावे। **नगर परिषद्, श्रीगंगानगर को पत्रावली भूखण्ड संख्या 4—बी—4, जवाहर नगर की चित्रित प्रति एवं इस न्यायालय के उक्त आदेश की प्रति भेजी जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर